HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON MONDAY, THE 18TH NOVEMBER, 2024 AT 02.00 P.M.

I. CALLING ATTENTION NOTICES.

(i) **Calling Attention Notice No. 3** notice given by **Shri Aditya Devilal, MLA**	regarding non supplying of diammonium phosphate (DAP) and Urea timely to the farmers of State.
Calling Attention Notice No. 9 notice given by **Shri Aftab Ahmed, MLA,** clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 3.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 3.
Calling Attention Notice No. 11 notice given by **Shri Jassi Petwar, MLA,** clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 3.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 3.
Calling Attention Notice No. 16 notice given by **Shri Shishpal Keharwala, MLA,** clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 3.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 3.
(ii) **Calling Attention Notice No. 15** notice given by **Shri Arjun Chautala, MLA**	regarding rising cases of dengue in the State.

II. PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) FOR THE YEAR 2024-2025.

THE FINANCE MINISTER	to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2024-2025.

III. SUPPLEMENTARY ESTIMATES (FIRST INSTALMENT) 2024-2025.

1. Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State.
2. Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants.

Demand No. 2	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹15,00,00,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 1-2
Demand No. 3	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹64,66,01,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 3-General Administration/ Elections.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 3-9

Demand No.4	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹279,25,00,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 4-Revenue & Disaster Management/ Fire Office (Fire Services)/Excise & Taxation.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No.10-13
Demand No. 5	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹537,25,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹130,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 5- Home / (Home Guard & Civil Defence) / Jails (Prisons) / Administration of Justice (High Court / Prosecution / AGOT / Legal Services Authority).**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No.14-20
Demand No. 6	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹7,56,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹2,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 6 –Finance and Institutional Finance & Credit Control/ Supplies & Disposals/ Planning and Statistics (DESA).**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 21-24
Demand No. 7	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹120,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No.7-Loans and Advances by State Government.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 25-27
Demand No. 10	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹1000,02,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹2,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 10-Agriculture and Farmers' Welfare / Horticulture / Animal Husbandry and Dairying Development / Fisheries / Mines and Geology / Environment, Forest and Wildlife.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 28-32
Demand No. 11	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹389,84,50,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect **of Demand No. 11- Co-operation / Food Civil Supplies and Consumer Affair.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 33-39

Demand No. 12	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹460,21,16,000/- for Revenue expenditure** and **₹3,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 12-Education (Secondary / Elementary) / Higher Education (Higher, Technical, Science & Technology) / Women and Child Development.</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 40-50
Demand No. 13	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹30,35,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹241,14,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 13-Sports / Heritage & Tourism (Archaeology, Museum, Tourism).</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 51-54
Demand No. 14	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹482,80,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹604,70,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 14- Health / Medical Education & Research / AYUSH / Food and Drug Administration.</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 55-68
Demand No. 15	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹30,00,00,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 15- Labour / Youth Empowerment & Entrepreneurship (Skill Development & Industrial Training, Employment, Youth Affair).</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 69-70
Demand No. 16	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹1121,64,00,000/- for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 16- Social Justice, Empowerment /Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes & Antodaya (SEWA) / Welfare of Ex-servicemen.</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 71-82
Demand No. 17	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹660,65,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹22,60,20,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 17- Public Works (Building and Roads)/ Transport/ Civil Aviation.</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 83-94
Demand No. 19	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹1359,46,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹50,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **<u>Demand No. 19- Energy Department (Power, New and Renewable Energy)/ Industries & Commerce/ MSME/ Irrigation and Water Resources.</u>**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 95-102

Demand No. 20	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding **₹314,02,00,000/- for Revenue expenditure** and **₹889,00,00,000/- for Capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2025 in respect of **Demand No. 20- Town & Country Planning/ Urban Estates (Urban Development)/ Urban Local Bodies (Local Government)/ Development & Panchayat (Rural Development)/ Public Health Engineering.**	Supplementary Estimates 2024-25 (1st Installment) Page No. 103-115

IV. OFFICIAL RESOLUTIONS

(i) A MINISTER to move- "that WHEREAS, the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023 was passed by the State Legislature vide Bill No. 7-H.L.A. of 2023 to make special provisions for prevention and control of, and for coping with criminal activity by organised crime syndicate or gang and for matters connected therewith;

AND WHEREAS, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

AND WHEREAS, the Governor of Haryana reserved the said Bill for the consideration of the President of India under article 201 of the Constitution of India;

AND WHEREAS, the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023 was sent to the Government of India, Ministry of Home Affairs for assent of the President of India;

AND WHEREAS, on seeking comments of Ministry of Law and Justice and Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India by the Ministry of Home Affairs, Government of India, certain discrepancies were found and Ministry of Home Affairs requested the State Government to consider withdrawing the said Bill and to submit a fresh Bill after duly incorporating the suggestions of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice;

AND WHEREAS, the matter was deliberated upon and it was decided to request the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023, as the State of Haryana intends to introduce a revised Bill in view of the observations made by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Government of India;

AND WHEREAS, the Council of Ministers has decided to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023 (Bill No. 7-H.L.A. of 2023);

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023."

(ii) A MINISTER to move- "that WHEREAS, the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024 was passed by the State Legislature vide Bill No. 4-H.L.A. of 2024 to uphold the basic human rights of dead body and for the decent final disposal of dead body in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

AND WHEREAS, the Governor of Haryana reserved the said Bill for the consideration of the President of India under article 201 of the Constitution of India.

AND WHEREAS, the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024 was sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India for assent of the President of India. The Ministry of Home Affairs, Government of India has sought the comments from the State Government on the observations raised by Ministry of Health and Family Welfare; Government of India received through the Secretary to Governor, Haryana. The matter was under consideration of State Government. In the meantime three new criminal laws namely the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Central Act 47 of 2023) were implemented from the 1st July, 2024 replacing the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860), Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) and Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872). Matter was deliberated upon and it was decided to request the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024, as the State of Haryana intends to send a fresh Bill after incorporating provisions enshrined in the newly enacted criminal laws as well as rectifying the observations of the Government of India.

And whereas, the Chief Minister, Haryana exercising the power of the Council of Ministers has decided to withdraw the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024 (Bill No. 4-H.L.A. of 2024).

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024."

V. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH NEVA PORTAL.

1.	A MINISTER	to lay on the Table 55th Annual Report & Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2021-2022, as required under section 394 of the Companies Act, 2013.
2.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) for the year 2018-2019 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
3.	FINANCE MINISTER	to lay on the Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) for the year 2019-2020 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

VI. LEGISLATIVE BUSINESS.

(i) (Bills for consideration and passing)

1.	The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2.	The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
4. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
5. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
6. The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Bill, 2024	A MINISTER	to move that Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
7. The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills to be introduced)

1. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Bill.
2. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill.
3. The Haryana Lease of Agricultural Land Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Lease of Agricultural Land Bill.
4. The Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Bill.
5. The Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Bill.

CHANDIGARH:
THE 16TH NOVEMBER, 2024.

DR. SATISH KUMAR,
SECRETARY.

<u>हरियाणा विधान सभा</u>

सोमवार, 18 नवम्बर, 2024 को 02.00 बजे मध्याहन पश्चात विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

(i)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-3</u>** जिसकी सूचना **श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है ।	राज्य के किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) तथा यूरिया की समय से आपूर्ति न होने से सम्बंधित।
	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9</u> श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-11</u> श्री जस्सी पेटवाड़, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-16</u> श्री शीशपाल केहरवाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
(ii)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15</u>** जिसकी सूचना **श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है।	राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों से सम्बंधित।

II. <u>वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना।</u>

वित्त मंत्री	2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

III. <u>2024-2025 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त)।</u>

1.राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।

2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 2	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹15,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 2-<u>राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 1-2

मांग संख्या 3	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹64,66,01,000/-**से अधिक न हो, **मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन / निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 3-9
मांग संख्या 4	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹279,25,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹537,25,00,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹130,00,00,000/-**से अधिक न हो, **मांग संख्या 5- गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/ जेल (कारागार)/ न्याय शासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन/ एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 14-21

मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹7,56,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 22-25
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **पूंजीगत खर्च के लिए ₹120,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 7- राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 26-28
मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1000,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 29-33
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹389,84,50,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 11-सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 34-40

मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹460,21,16,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 41-51
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹30,35,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹241,14,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या** 13- **खेल / विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व / संग्रहालय / पर्यटन)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 52-55
मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹482,80,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹604,70,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या** 14- **स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 56-69

मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹30,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 15 - श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 70-71
मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1121,64,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 16- सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 72-84
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹660,65,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹22,60,20,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/ परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 85-96

मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1359,46,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹50,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 97-104
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि **जो राजस्व खर्च के लिए ₹314,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹889,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 20-नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/ शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 105-117

IV. **<u>सरकारी प्रस्ताव।</u>**

(i) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- "चूकिं, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023, संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियन्त्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7-एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था।

और चूंकि, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और

गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत् निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया;

और चूंकि, मामले पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने का इरादा रखता है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 7-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।"

(ii) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- "चूकिं, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024, हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमण्डल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या-4 एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1), को बदलते हुए तीन नए दांडिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 47) प्रथम जुलाई, 2024 से लागु किए गए थे। मामले पर विचार- विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबन्धों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमन्त्री, हरियाणा ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या 4-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।"

(ii) नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखें मेज पर रखेंगे।
2.	वित मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बीज़) तथा पंचायती राज संस्थानों(पी.आर आईज़) के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
3.	वित मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बीज़) तथा पंचायती राज संस्थानों(पी.आर आईज़) के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VI. विधायी कार्य ।

(i) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

3.	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4.	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5.	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
6.	हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
7.	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
3. हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
4. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

5. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

चण्डीगढ़:
16 नवम्बर, 2024.

डॉ. सतीश कुमार,
सचिव।